e-mitra

1 STOP AKSH

We smarten up your life..™

शुभशक्ति योजना

अब निर्माण श्रमिकों को अपने बच्चों की शिक्षा और शादी में होने वाले खर्च की चिंता करने की आवश्यकता नहीं हैं. क्योंकि शुभशक्ति सहित कई योजनाएं शुरू की हैं।

श्रमिकों की बेटी को सशक्त और उद्यमी बनाने तथा विवाह के लिए 55 हजार की सहायता राशि दी जायेगी।

योजना का लक्ष्य

- आगे की शिक्षा
- खुद का व्यवसाय
- कौशल विकास
- प्रशिक्षण
- आदि शुरू करने के लिए

पात्रता एवं शर्ते

1. लड़की के पिता या माता अथवा दोनों, कम से कम एक वर्ष से मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी/निर्माण श्रमिक हों।
2. हिताधिकारी की अधिकतम् दो पुत्रियों अथवा महिला हिताधिकारी को और उसकी एक पुत्री को प्रोत्साहन राशि देय होगी।
3. हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।
4. हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के नाम से बचत बैंक खाता हो।
5. हिताधिकारी का स्वयं का आवास होने की स्थिति में, आवास में शौचालय हो।
6. सहायता राशि: पुत्री-55 हजार (18 वर्ष के बाद)।

आवेदन की समय सीमा

1. आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में हिताधिकारी कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा हो।
2. महिला हिताधिकारी अविवाहिता हो अथवा हिताधिकारी पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो तथा वह अविवाहिता हो।

आवेदन के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज

1. भरा हुआ योजना का फॉर्म।
2. हिताधिकारी के पंजीयन परिचय-पत्र की प्रति।
3. महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की पुत्री, जो भी लागू हो, के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अंकित हो) की प्रति।
4. हिताधिकारी की पुत्री की आयु 18 वर्ष पूरी होने के प्रमाण पत्र की प्रति।

आवेदन शुल्क - 32/- रूपये